8-5-18

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट चानस्ता
में पेश हुई। कुमिशादी तहसीलदार दौसा कैम्प
कोर्ट में उपस्थित। प्रतिवादी कैम्प कोर्ट में उपस्थित
है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड
का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम केसरा
तहसील दौसा स्थित ख.नं. 358/509 रकबा
0.13 है. भूमि आबादी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम
राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मन्दिर श्री गोपाल जी
शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग मन्दिर की भूमि पर
प्रतिवादी को अतिक्रमण करने व निर्माण कार्य
करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा
मंदिर की भूमि पर निर्माण करने की जानकारी वादी
को होने पर दिनांक 18-8-17 को वादी तहसीलदार दौसा
कोर्ट निकट भूमि धारी मौके पर ग्राम पंचायत मौजा

8-5-18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाया गया। जिससे यह साबित है कि प्रतिवादी द्वारा मन्दिर श्री सीतारामजी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसको बेदखल किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। मन्दिर श्री सीतारामजी शाश्वत नाबालिग है, जिसके हितों की रक्षा करना भूमि धारि. का सामान्य के संरक्षण में है। मंदिर माफी की भूमि पर प्रतिवादी का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार टोंक को आदेश दिया जाता है कि मन्दिर माफी श्री सीतारामजी की भूमि ग्राम टोंक तहसील टोंक जिला टोंक ख.नं. 354/509 रकबा 0.13 है. भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जावे। पश्चात डिक्री जारी होवे। प्रकरण का फैसला हुआ। रिकॉर्ड नक्शा मिलान हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे। निर्णय आज मेरे द्वारा चान्दमल के समक्ष खुले आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 8-5-18 सहायक कलक्टर टोंक	

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट टोंक जिला टोंक